भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 705

(दिनांक 26.07.2021 को उत्तर देने के लिए)

नई डिजिटल मीडिया आचार नीति

705. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई डिजिटल मीडिया आचार नीति के अंतर्गत डिजिटल मीडिया आउटलेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए कोई सूचना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो सामग्री के आपत्तिजनक होने के कारणों सहित प्रत्येक डिजिटल मीडिया आउटलेट संबंधी ऐसे आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने आदेशों का अनुपालन किया गया है;

(घ) ऐसी सूचना मिलने के बाद भी कोई सामग्री हटाने से मना करने की स्थिति में ऐसी मीडिया कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है; और

(ङ) क्या अब तक ऐसी कोई कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 अधिसूचित की है, जिसकी प्रति मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित इन नियमों के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने हेतु आचार संहिता का प्रावधान है।

आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किसी डिजिटल प्रकाशक को सामग्री हटाने के लिए कोई नोटिस/आदेश जारी नही किया गया है।

******